निर्णय सुरक्षित_

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में नैनीताल में

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान

और

माननीय श्री न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक

आपराधिक जेल अपील संख्या 45/2018

सियानंद .....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य .....प्रतिवादी

आपराधिक जेल अपील संख्या 2/2019 के साथ

लुक्का उर्फ लोकेश उर्फ लवकुश .....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य .....प्रतिवादी

सुश्री मनीषा भंडारी, अपीलकर्ताओं के लिए न्याय मित्र बनीं।

श्री जे.एस. विर्क, विद्वान उप महाधिवक्ता,

श्री आर.के.जोशी, उत्तराखंड राज्य के लिए विद्वान ब्रीफ

होल्डर के साथ उपस्थित थे।

निर्णय सुरक्षित: 26.10.2021

निर्णय दिया गया: 25.11.2021

निर्णय:

(माननीय श्री न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक के अनुसार)

ये अपीलें विद्वान सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार, द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 60/2013 में दिए गए 28/29.09.2018 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं। जिसके माध्यम से आरोपी अपीलकर्ताओं को धारा 323/34, 504, 506, 364, 302, 201 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। अपीलकर्ताओं में से प्रत्येक को अपराध के लिए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है धारा 323/34 आईपीसी, धारा 504 आईपीसी के तहत अपराध के लिए 6 महीने की कैद, धारा 506 आईपीसी के तहत अपराध के लिए 6 महीने की कैद, 5 साल की कैद और 15,000/–रुपये का जुर्माना। धारा 364 आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए प्रत्येक को दो साल की कैद और 5000 रु.रुपये का जुर्माना देना होगा।

2. उपरोक्त निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता, सियानंद (बाद में 'A1' के रूप में संदर्भित) ने आपराधिक जेल अपील संख्या 45/2018 को प्राथमिकता दी और, दोषी अपीलकर्ता, लुक्का उर्फ लोकेश उर्फ लवकुश (बाद में इसे 'A1' के रूप में संदर्भित किया गया 'A2') ने आपराधिक जेल अपील संख्या 2/2019 को प्राथमिकता दी। चूँकि ये दोनों अपीलें एक ही निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित हैं, इसलिए इन अपीलों का निर्णय इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया जा रहा है।

3. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि, 23.09.2012 को शाम 5:20 बजे, बती (पीडब्लू 3) रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पति ए1 के साथ ग्राम सराय में किराए के मकान में रहती है। उसका पति शराबी था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता

था। 19/20.09.2012 की मध्यरात्रि में लगभग 1 बजे, A2 उसके घर आया और उसने A1 को कुछ पैसे दिए और उससे अपनी पत्नी (शिकायतकर्ता) को अपने साथ सोने के लिए कहा। A1 ने शिकायतकर्ता को A2 के साथ सोने के लिए कहा, लेकिन शिकायतकर्ता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर A1 ने उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। शिकायतकर्ता को मुल्की और रानी ने बचाया, जो शिकायतकर्ता के पड़ोसी थे। मुल्की ने बताया कि वह दोनों की शिकायत मकान मालिक से करेगा। फिर A1 और A2 ने शिकायतकर्ता और A1 की दो साल की बेटी सिमरन को छीन लिया और घर छोड़ दिया। जब A1 2–3 घंटे के बाद लौटा, तो शिकायतकर्ता ने उससे सिमरन के बारे में पूछा। इस पर, A1 ने फिर से शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और उसके बाद वह सो गया। भयभीत होकर फरियादी ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। अगले दिन, A1 ने शिकायतकर्ता को जबरदस्ती घर से निकाल दिया और उसे उसके पैतृक घर ग्राम तेलीवाला भेज दिया। फरियादिया ने बीमार होने के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। दिनांक 22.09.2012 को उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी का शव उनके घर से कुछ दूरी पर स्थित एक खेत में पड़ा है। तब उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी का शव उनके घर से कुछ दूरी पर स्थित एक खेत में पड़ा है, तब वह वापस लौटी और अपनी बेटी की पहचान की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे यकीन था कि A1 और A2 ने 19/20.09.2012 की मध्यरात्रि में सिमरन (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) की हत्या कर दी और उसके शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया।

4. पुलिस ने मामले की जांच की और उसके बाद आरोपी आवेदकों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद आरोपी अपीलकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है।

5. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित सभी 13 गवाहों की जांच की:

पीडब्लू	नाम
पीडब्लू1	श्रीमती रानी (शिकायतकर्ता की पड़ोसी)
पीडब्लू2	अक्षय कुमार (पूछताछ का गवाह कार्यवाही और शव की बरामदगी)।
पीडब्लू3	श्रीमती बती (शिकायतकर्ता)
पीडब्लू4	हरपाल (मकान मालिक)
पीडब्लू5	कांस्टेबल सूर्यप्रताप सिंह (उन्होंने पीडब्लू9 के साथ मिलकर शव की बरामदगी की; यह गवाह भी शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल ले गया)
पीडब्लू6	मुल्किराज (शिकायतकर्ता का पड़ोसी)
पीडब्लू7	डॉ0 एसएन खान (जिन्होंने शव का पोस्टमॉर्टम किया)
पीडब्लू 8	प्रदीप कुमार (शिकायतकर्ता का भाई)
पीडब्लू 9	एसआई धर्मेंद्र राठी (शव को बरामद किया और जांच रिपोर्ट तैयार की)
पीडब्लू 10	धनपाल सिंह (जांच कार्यवाही और शव की बरामदगी के गवाह)
पीडब्लू 11	एसआई दिनेश सिंह पंवार (मृतक के अंडरगारमेंट की बरामदगी)
पीडब्लू 12	एसआई करम सिंह चौहान (चिक एफआईआर तैयार की और जीडी में आवश्यक प्रविष्टियां की)
पीडब्लू 13	एएसआई गणेश सिंह कुटियाल (जांच अधिकारी)

6. हमने अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान न्याय मित्र के साथ–साथ राज्य के लिए विद्वान उप महाधिवक्ता की सहायता से रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का अध्ययन किया है और उनके प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है।

7. पीडब्लू1 श्रीमती रानी ने अपनी गवाही में कहा है कि वह भी उसी घर में किरायेदार थी जिसमें शिकायतकर्ता और उसका पति रहते थे। घटना की तारीख पर, आरोपी अपीलकर्ता वहां आए और उन्होंने श्रीमती बाती के साथ झगड़ा किया। इसके बाद A1 ने अपनी दो साल की बेटी को A2 को सौंप दिया और फिर दोनों बच्चे के साथ वहां से चले गए। इसके तीसरे दिन बच्चे का शव मिला, शिकायतकर्ता ने सिमरन के शव की पहचान भी की, लेकिन जिरह में, इस गवाह ने कहा है कि आरोपी अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच उसकी उपस्थिति में झगड़ा नहीं हुआ था, न ही आरोपी अपीलकर्ता उसके सामने बच्चे को अपने साथ ले गये थे। इस गवाह ने आगे कहा है कि आरोपी अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच झगड़े के समय मुलिक (पीडब्ल्यू 6) मौके पर मौजूद नहीं था। इस गवाह ने आगे कहा है कि A1 और A2 अक्सर एक साथ आते थे, अंत में इस साक्षी ने बताया कि घटना के दिन वह घर पर मौजूद नहीं थी और गोंडा में थी।

8. पीडब्लू3 श्रीमती बती ने अपने मुख्य परीक्षण में वही कहानी बताई है जो उसने एफआईआर में बताई है।

9. पीडब्लू4 हरपाल ने कहा है कि उसने घटना नहीं देखी, न ही उसने आरोपी व्यक्तियों को घटनास्थल पर देखा। उसे घटना के बारे में पीडब्लू 3 से पता चला, जब वह घटना की तारीख को लगभग 12:30 बजे उसके कमरे में आया।

10. पीडब्लू6 मुल्किराज ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 19/20.09.2012 की मध्यरात्रि में लगभग 11/12 बजे, A1 और A2 घर आए और उन्होंने खाना खाया। इसके बाद A2 ने A1 के घर में सोने की जिद की। इस पर इस गवाह ने A2 से कहा कि अगर वह अपने घर नहीं जायेगा तो मकान मालिक को बता देगा, लेकिन A2 को राजी नहीं किया जा सका। इसके बाद यह गवाह मकान मालिक को सूचित करने के लिए चला गया और कुछ समय बाद वह मकान मालिक के साथ वापस लौटा और फिर PW3 से पता चला कि A1 और A2 मृतक को अपने साथ ले गए थे। कुछ देर बाद A1 घर वापस आया, लेकिन मृतक उसके साथ नहीं थी और न ही पूछने पर भी उसने मृतक के बारे में कुछ बताया। इसके 3–4 दिन बाद बच्चे का शव गन्ने के खेत में मिला। इस गवाह ने जिरह में कहा है कि गांव के कई लोगों ने मृतक की तलाश की थीं। A1 और A2 भी खोज रहे थे,

11. पीडब्लू7 डॉ0 एसएन खान हैं जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की। उनके अनुसार, मृतक की मृत्यु पोस्टमॉर्टम परीक्षण करने से लगभग 4–6 दिन पहले हुई थी और उसकी मृत्यु पूर्व चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुई थी।

12. बाकी गवाहों की गवाही औपचारिक प्रकृति की है। इसलिए, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

13. अपीलकर्ताओं के विद्वान न्यायमित्र ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में बहुत विरोधाभास हैं और पुलिस द्वारा की गई जांच में भी गंभीर खामियां हैं। विद्वान न्यायमित्र ने आगे तर्क दिया कि ऐसा नहीं है यह साबित करने के लिए स्वतंत्र गवाह कि A1 और A2 घटना की कथित तारीख और समय पर मृतक के साथ घटनास्थल से चले गए। विद्वान न्यायमित्र ने यह भी तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में बहुत देरी हुई है जो मृतक के शव की बरामदगी के बाद ही दर्ज की जा सकती है और यह तथ्य अभियोजन की कहानी को भी प्रभावित करता है। विद्वान न्याय मित्र ने तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, यह स्थापित कानून है कि दोषसिद्धि तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला के आधार पर यह स्थापित न हो जाए कि आरोपी के अलावा कथित अपराध होने की कोई अन्य संभावना नहीं है।

14. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी हो गई है। अभियुक्तों को आखिरी बार मृतक को साथ ले जाते देखा गया था; इसके बाद उसका शव मिला। A2 ने भी जुर्म कबूल कर लिया है और उसकी निशानदेही पर बरामदगी की गई है। विद्वान उप महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर, एकमात्र निर्णायक निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि आरोपी व्यक्ति अपराधों के दोषी हैं; ट्रायल कोर्ट ने आरोपी अपीलकर्ताओं को सही तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई है।

15. प्रतिद्वंद्वियों की दलीलों को सुनने और सबूतों की सराहना करने के बाद, हमारी राय है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी तरह से A1 के खिलाफ है। हालाँकि, हमारी दृढ़ राय है कि A2 के खिलाफ दोषसिद्धि का कोई स्पष्ट मामला नहीं बनाया गया है। साक्ष्यों में आया है कि घटना दिनांक व समय पर शिकायतकर्ता व A1 के बीच झगड़ा हुआ था। A1 को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था। उन्होंने यह नहीं बताया कि मृतक कैसे लापता हुआ। अन्यथा भी, शिकायतकर्ता, उसका पति A1 और मृतक एक ही छत के नीचे एक साथ रह रहे थे। मृत्यु कैसे हुई है यह समझाने का भार A1 पर था और इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू होगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत A1 द्वारा उस पर से बोझ हटाने में विफलता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इसलिएए रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर, हमारी राय है कि A1 के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित की गई थी।

16. A2 की सजा के संबंध में, शिकायतकर्ता ने कहा है कि A2 घटना की कथित तारीख और समय पर उसके घर आया था और शिकायतकर्ता के साथ सोने की जिद करने पर झगड़ा हुआ और उसके बाद A1 और A2 दोनों बच्चे को अपने साथ ले गए और मौके से चला गया तीसरे दिन मृतक का शव मिला। हालाँकि, किसी और ने A2 को नहीं देखा। यहां तक कि एक पल के लिए तर्क के लिए कोई यह मान भी ले कि A2 प्रासंगिक तिथि और समय पर A1 के घर गया था, फिर भी, यह A2 के पूर्ण अपराध को स्थापित नहीं करता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा, यह घटनाओं की एक शृंखला का हिस्सा है। परिस्थितियों से स्थापित अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और परिस्थितियाँ प्रकृति और प्रवृत्ति में निर्णायक

होनी चाहिए। एक आपराधिक मामले में, अभियोजन पक्ष को कथित एक्टस रीसए कार्य और मेन्स रीया दोषी दिमाग या इरादे को साबित करना होता है, जिसे अभियोजन पक्ष वर्तमान में मामले में A 2 के सम्बन्ध में रूप में साबित करने में विफल रहा है।

17. इसके अलावा, पीडब्लू 13 मामले के जांच अधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने A2 से पूछताछ की थी और अपना बयान दर्ज किया था और उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन जांच अधिकारी ने अपना इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि A2 की निशानदेही पर बरामदगी की गई थी, लेकिन PW3 ने अपनी जिरह में कहा है कि बरामदगी के समय A2 मौके पर मौजूद नहीं था।

18. कृष्णन बनाम राज्य (2008) 15 एससीसी 430 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी की:

"इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में लगातार यह माना है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:

(i) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए,

(ii) वे परिस्थितियाँ निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों ;

(iii) परिस्थितियों को, संचयी रूप से लेते हुए, इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और किसी और ने नहीं; और

(iv) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए और ऐसे साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए बल्कि उसकी मासूमियत के साथ असंगत होने चाहिए। (देखें गंभीर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1982) 2 एससीसी 351)"

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, 2019 की आपराधिक जेल अपील संख्या 2 सफल होती है और 2018 की आपराधिक जेल अपील संख्या 45 विफल हो जाती है। नतीजतन, अपीलकर्ता लुक्का उर्फ लोकेश उर्फ लवकुश की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है और उस पर लगाई गई सजा को अपास्त किया जाता है। वह जेल में है। उनका जमानत बांड रद्द किये जाते है और जमानतदारों को मुक्त किया जाता है। लुक्का उर्फ लोकेश उर्फ लवकुश यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाय। आरोपी अपीलकर्ता सियानंद पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है। वह जेल में है। वह ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा पूरी करेगा।

20. इस निर्णय और आदेश की एक प्रति, एलसीआर के साथ, इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

राघवेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश

एनएस धानिक, जे.

आर.वी.